

लेखा • योग

146. धोखाधड़ी के बारे में

अगस्त-सितंबर 2009 (दिसंबर 2010 में जारी)

इस अंक में


धोखाधड़ी क्यों होती है? पृष्ठ 1

जालसाजी कौन करता है? • जालसाजी के आम दायरे पृष्ठ 2

धोखाधड़ी से निबटना पृष्ठ 3

लाभ निरपेक्ष संस्थाओं (एनपीओ) में किस तरह की धोखाधड़ी होती है? ऐसी धोखाधड़ी या जालसाजियां कितनी होती हैं? इन जालसाजियों से कैसे बचा जा सकता है? क्या इस मामले में ऑडिटर हमारी मदद कर सकते हैं? इस तरह के कई सवाल अकसर हमारे जहन में उठते हैं लेकिन हम उन्हें जुबान पर आने से रोक देते हैं क्योंकि हममें से ज्यादातर लोग इस तरह के मसलों पर बात नहीं करना चाहते।


तकरीबन हर व्यक्ति को ये लगता है कि वह धोखाधड़ी के खतरे से आजाद है लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्थिक धोखाधड़ी का पता लगाना प्रायः बहुत कठिन रहता है। ये जिम्मेदारी वित्तीय ऑडिटरों की भी नहीं होती कि वे आर्थिक धोखाधड़ी का पता लगाएं। जब धोखाधड़ी का पता चल जाता है तो भी कोई नहीं चाहता कि ये बात उजागर हो जाए। यही कारण है कि ज्यादातर संस्थाएं एहतियाती कदम उठाने में चूक जाती हैं और जब वे कदम उठाती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिन धोखाधड़ियों का पता चल पाता है उनमें ही हर साल



बेहिसाब पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि धोखाधड़ी की ज्यादातर घटनाओं का कभी पता ही नहीं चल पाता। इसका मतलब ये है कि धोखाधड़ी की घटनाओं से होने वाले कुल नुकसान का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हमें जो नुकसान दिखाई देता है वह पानी में डूबे हिमखंड की सिर्फ एक झलक जितना ही होता है¹।

लेखायोग के प्रस्तुत अंक में हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि ऐसी धोखाधड़ी क्यों होती है, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है और उसके दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting



धोखाधड़ी क्यों होती है?

मोटे तौर पर धोखाधड़ी के ज्यादातर मामले तीन वजहों से होते हैं : मौका, वजह और रेशनलाइजेशन। जान—कार लोग इसे धोखाधड़ी का त्रिकोण कहते हैं।

मौके का मतलब यह है कि धोखाधड़ी करने वाले के पास गड़बड़ी करने के लिए सही मौका होना चाहिए वह या तो बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है या किसी अहम ओहदे पर हो सकता है। इसके अलावा नियंत्रण व्यवस्था में कोई अनजानी या उपेक्षित खामी भी होनी चाहिए ताकि धोखाधड़ी की जा सके।

ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए जालसाजी नहीं करते क्योंकि उन्हें व्यवस्था में कोई खामी यानी अवसर मिल जाता है। अवसर के साथ-साथ उनके पास वजह भी होनी चाहिए। वक्ती आर्थिक दबाव या आमदनी से ज्यादा खर्चों वाली जीवन शैली आदि के कारण यह इस इरादा या

¹ आमतौर पर पानी में डूबे हिमखंड (आइसबर्ग) का केवल 1/10वां हिस्सा ही पानी के ऊपर रहता है।

www.Accountaid.net

लेखा·योग

146. योगाधी के बारे में

अगस्त-सितंबर 2009 (दिसंबर 2010 में जारी)

प्रचलित सिद्धांत के अनुसार धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस त्रिकोण को तोड़ना जरूरी होता है। लेकिन ये बात कहने में तो आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में लोगों के पास इस त्रिकोण के सिर्फ एक कोण यानी अवसर तक ही पहुंच होती है।

वजह कभी भी सिर उठा सकती है।

आमतौर पर दबावों की वजह से ही कोई व्यक्ति धोखाधड़ी के बारे में सोचना शुरू करता है लेकिन ज्यादातर ऐसे मामलों में एक और चीज की भी ज़रूरत होती है। इसे औचित्यसिद्धि या रेशनलाइजेशन कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी चोरी करने से पहले उस व्यक्ति को कोई वास्तविक या काल्पनिक शिकायत होनी चाहिए जिसके आधार पर वह अपनी चोरी को जायज भी ठहरा सके। इससे उसे पकड़े जाने के भय से उबरने में भी बड़ी मदद मिलती है। कुछ मामलों में यह औचित्य आवश्यक नहीं होता। जालसाजी का दायरा समाज में या

भला क्यों?

आला अधिकारी जालसाजी क्यों करते हैं? हाल के एक सर्वेक्षण (ओवरसाइट सिस्टम्स, इंक., 2007) के मुताबिक, विशेषज्ञों की सोच यह है कि लक्ष्य हासिल करने का दबाव जालसाजी/धोखाधड़ी के पीछे सबसे अहम कारण रहा है।

इसके बाद निजी फायदे-नुकसान का नंबर आता है। कुछ लोग यह भी मान कर चलते हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे जबकि बहुत सारे जालसाज तो अपनी हरकतों को गलत ही नहीं मानते!

■ 5%

नियम और कानून की जानकारी न होना

■ 8%

साधनों की कमी से शॉर्ट कट लेना

■ 20%

लक्ष्य हासिल न होने से नौकरी जाने का डर

■ 21%

नियम आसानी से तोड़ सकते हैं

■ 40%

अपनी हरकतों को धोखाधड़ी न मानना

■ 41%

‘मैं पकड़ा नहीं जा सकता’

■ 72%

निजी फायदा

■ 81%

किसी भी तरह लक्ष्य हासिल करने का दबाव

सहकर्मियों और संगी-सार्थियों में इतना फैला हुआ हो सकता है कि वह जालसा. जों के लिए एक स्वाभाविक क्रिया बन जाये।

प्रचलित सिद्धांत के अनुसार धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस त्रिकोण को तोड़ना जरूरी होता है। लेकिन ये बात कहने में तो आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में लोगों के पास इस त्रिकोण के सिर्फ एक कोण यानी अवसर तक ही पहुंच होती है।

जालसाजी कोन करता है?

हेरानी की बात यह है कि धोखाधड़ी प्रायः ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जो शक के दायरे में नहीं होते! अगर आप गौर से देखें तो ये बात विल्कुल तर्कसंगत दिखाई देगी²। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हर निर्दोष व्यक्ति को शक की निगाहों से देखने लगें।

अगर आप धोखाधड़ी घपले का पता लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि निम्नलिखित किस्म के कर्मचारियों से जालसाजी की आशंका ज्यादा रहती है (मैक्रिमलन 2006) और उन पर ज्यादा पैनी नजर रखी जानी चाहिए:

- एक असंतुष्ट कर्मचारी जिसके जहन में कोई वास्तविक या कल्पित गुस्सा है।
- आर्थिक कठिनाइयों या पारिवारिक तनावों से जूझ रहा कर्मचारी।
- ऐसा कर्मचारी जो अपनी आय और साधनों से कहीं ज्यादा शौकीन जिंदगी जी रहा है।
- ऐसा कर्मचारी जो कभी छुट्टी नहीं मांगता या कभी औरों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता।
- ऐसा कर्मचारी जो नशीली दवाओं या जुए का आदी हो चुका है।

जालसाजी के आम दायर

कहते हैं (हेली, 1975) कि अमेरिकी सरकार ने एक बार डॉलर के नोटों की जालसाजी का पता लगाने के लिए एक पुस्तिका छापी थी। इस किताब में उन तमाम खामियों और गड़बड़ियों के बारे में बताया गया था जिनको देखकर कोई भी आदमी नकली डॉलर को पहचान सकता था। देखते-देखते यह किताब जालसाजों के बीच भी खूब लोकप्रिय हो गई और उन्होंने इससे सबक लेकर अपने काम को और अचूक बना दिया।

इस कहानी से सीख लेते हुए हम इस बात के लंबे ब्यौरों में नहीं जाना चाहते कि जालसाजियां कैसे होती हैं। फिर भी, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और दानदाता एजेंसियां निम्नलिखित मामलों में

² अगर कोई व्यक्ति बहुत अस्तव्यस्त दिखाई देता है और अविश्वसनीय ढंग से व्यवहार करता है तो वह कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ पाएगा कि जालसाजी कर सके। ये कुछ ऐसा ही सवाल है कि बूढ़े ड्राइवर ज्यादा एक्टियात से ड्राइव क्यों करते हैं? इसका जवाब ये है कि जो अहतियात से ड्राइव नहीं करते वे कभी बुढ़ापे तक पहुंचते ही नहीं!



सबसे नाजुक स्थिति में दिखाई देती हैं:

चंदा संग्रह

चंदों के रूप में जो नकद हासिल होता है उसको हड़पा जा सकता है। फर्जी बैंक खातों के जरिए छोटे-मोटे चैकों को निजी नाम पर भुनाया भी जा सकता है।

अनुदानों का वितरण

कूरियर या डाक द्वारा भेजे जाने वाले चैक रास्ते में चोरी हो सकते हैं या किसी फर्जी बैंक खाते के नाम पर उनको भुनाया जा सकता है। कागजी संगठनों या बेनामी/फर्जी संगठनों के नाम पर अनुदान जारी हो सकते हैं।

यातायात व्यय

कई कर्मचारी ऊंची श्रेणी के किराये या ज्यादा महंगे यातायात साधनों के खर्चों का दावा कर सकता है। हो सकता है जालसाज एक ही चीज के लिए दो बार, खासतौर से सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि के लिए खर्चों का दावा पेश करे। कई बार लोग मेजबान द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद उसी खर्चों के लिए ऑफिस में आकर भी दावा पेश कर देते हैं। कई बार लोग या तो टैक्सी का फर्जी भाड़ा मांगने लगते हैं या बढ़ाकर पैसा मांगते हैं। होटल कर्मचारियों के साथ मिलकर होटल के खर्चों को भी बढ़ाकर मांगा जा सकता है।

कई बार लोग पेशगी बुक कराए गए टिकट को रद्द करवा देते हैं लेकिन उनसे जो पैसा वापस मिलता है उसे ऑफिस में जमा नहीं करते। कई बार लोग जरूरत से ज्यादा टिकटों की बुकिंग करा लेते हैं और यह फालतू पैसा किसी फर्जी ट्रेवल एजेंट या बेनामी कंपनी के नाम पर जमा कर दिया जाता है।

डाक खर्चे

अगर आप कूरियर पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, न्यूज़लैटर भिजवाने या पर्चे व अपील भेजने पर बहुत सारा डाक खर्च करते हैं तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कि लोग दफ्तर की डाक के साथ निजी डाक भी भेजने लगें या प्रेषित किए जा रहे पर्चे/

न्यूज़ लैटरों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर खातों में दर्ज करा दें। अगर आप किसी कूरियर एजेंसी या डाक सेवा के जरिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास जो बिल आता है वह आपके दफ्तर के डाक संबंधी कर्मचारियों की मिलीभगत से बढ़ा दिया गया हो।

सामग्री की खरीददारी

आप दफ्तर के लिए जो सामग्री मंगाते हैं और उसकी जो कीमत अदा करते हैं वह सप्लायर के साथ मिलकर बढ़ाई जा सकती है (अग्रवाल, 2010)। जितना माल सप्लायर ने भेजा है उसको बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज किया जा सकता है। कई बार आप अव्वल दर्ज की सामग्री की कीमत चुकाते हैं जबकि दफ्तर में जो सामग्री आती है वह घटिया स्तर की (सस्ती) होती है।

छपाई का खर्च

कई बार लोग जरूरत से ज्यादा मुद्रित सामग्री का ऑर्डर और बिल भेज देते हैं जबकि दफ्तर में उतना माल नहीं आया होता है। कई बार ऐसी चीजों के लिए भी भुगतान हो जाता है जो कभी छपी ही नहीं होती हैं या ऑफिस में नहीं आई हैं। अच्छी छपाई (मल्टी कलर) या कागज की बढ़िया क्वालिटी के नाम पर भारी-भरकम रेट भी मांगे जा सकते हैं जबकि हो सकता है कि असली प्रिंटिंग बहुत निम्न स्तर की हो।

धोखाधड़ी से निवटना

बदकिस्मती की बात यह है कि धोखाधड़ी का पता लगाना आज भी बहुत कठिन है। जालसाजी के ज्यादातर मामले सिर्फ इत्तेफाक से पकड़ में आते हैं³। उनको पकड़ने में ऑडिटरों का हाथ नहीं होता। दरअसल, सामान्य वित्तीय ऑडिट की रूपरेखा धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बनायी ही नहीं गई है। अगर आप ऑडिटर्स को धोखाधड़ी का पता लगाने का पूरा जिम्मा सौंप देंगे तो यह बहुत महंगा और समय लेने वाला काम हो जाएगा। दूसरी बात, धोखाधड़ी करने वाला भी बेवकूफ नहीं होता। वह भी तो इस बात की पूरी एहतियात रखेगा कि ऑडिटर कब और कहां नजर रख रहे हैं। कभी-कभी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति उस दौरान अपनी हरकतें बंद कर देता है जब ऑडिट चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही ऑडिटर रखाना होते हैं वह अपनी कारस्तानी चालू कर देता है।

अगर आप निम्नलिखित कदम उठाएं (मैनेजिंग दि विजनेस रिस्क ऑफ फ्रॉड: ए प्रेक्टिकल गाइड, 2007) तो धोखाधड़ी का पता लगाने की संभावना बढ़ सकती है:

- एक लिखित नीति बनाएं और धोखाधड़ी जेखिम प्रबंधन कार्यक्रम

³एक अनुमान (मैक्सिलन, 2006) के अनुसार, धोखाधड़ी के जो मामले पकड़ में आ जाते हैं उनमें सिर्फ 2 प्रतिशत मामले ऐसे होते हैं जो सामान्य ऑडिट के दौरान जानकारी में आते हैं; 18 प्रतिशत मामले आर्थिक ऑडिट के दौरान पकड़े में आते हैं; 30% मामले किसी तरह के सुराग या शिकायत मिलने की वजह से पकड़ में आते हैं, लेकिन 50% मामले तो बस तुकड़े से पकड़ में आ पाते हैं।

लेखा·योग

146. योगाधी के बारे में

अगस्त-सितंबर 2009 (दिसंबर 2010 में जारी)

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

लागू करें⁴।

- इस बारे में सावधानी से सोचिए कि आपकी संस्था में धोखाधड़ी किस-किस तरह हो सकती है।
- धोखाधड़ी को रोकने या उसके असर की रोकथाम के लिए वाजिब उपाय करें।
- धोखाधड़ी की घटनाओं का पता लगाने, उनकी तफ्तीश करने और उनसे निपन्ने के लिए सही कदम उठाएं।

बहुत सारे विशाल संगठनों में विश्वलब्लोअर कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ऐसी संस्थाओं में अगर किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की आशंका दिखाई देती है तो उसे संगठन के किसी बड़े अधिकारी से सीधे जाकर बात कहने का अधिकार होता है। इसके बाद वह अधिकारी इस बारे में सूचना इकट्ठी करते हैं, तफ्तीश के बारे में फैसला लेते हैं और कार्रवाई पर लगातार नजर रखते हैं। अगर धोखाधड़ी का सुराग देने वाला व्यक्ति संस्था का कर्मचारी है तो उसे दोषियों की रेंजिश से बचाने की भी व्यवस्था की जाती है।

सहकर्मियों और जनता की मदद लेने के अलावा आपको नाजुक बिंदुओं का पता लगाना चाहिए और संस्था के भीतर आंतरिक नियंत्रण मजबूत रखना चाहिए। इस बारे में लेखायोग के अगले अंक (147: धोखाधड़ी की रोकथाम) में और विस्तार से चर्चा की गई है।

⁴ मिसाल के तौर पर एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स द्वारा तैयार की गई नमूना धोखाधड़ी-रोधी नीति को देखें (मैनेजिंग दि बिजेस रिस्क ऑफ फ्रॉड : ए प्रेक्टिकल गाइड, 2007)।

पुस्तकें

अग्रवाल, ई (2010), लेखायोग 145 : कोटेशन, नई दिल्ली : अकाउंटेड इंडिया।

हेली, ए (1975), मनी चैंजर्स, दि, डबलडे।

मैनेजिंग दि बिजेस रिस्क ऑफ फ्रॉड : अ प्रेक्टिकल गाइड (2007), theiia.org : <http://www.theiia.org/media/files/fraud-white-paper/fraud%20paper.pdf>, 1 अप्रैल 2010 को देखा गया।

मेकिलन, ई जे (2006) प्रिवेटिंग फ्रॉड इन नॉन प्राफिट ऑर्गनाइजेशंस, जॉन वाइली एण्ड सन्स कंपनी।

ओवरसाइट सिस्टम्स, इंक. (2007), दि 2007 ओवरसाइट सिस्टम्स रिपोर्ट ऑन कॉरपोरेट फ्रॉड, 1 अप्रैल 2010 को http://www.oversightsystems.com/whitepapers/Oversight_2007_Fraud_Survey.pdf पर देखा गया।

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे लगभग 1500 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुर्वकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटेड कोई एतराज नहीं है बरतें आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंगेजी में लेखा-योग:

लेखा-योग अंगेजी में 'अकाउंटेल' के नाम से उपलब्ध है।

इंटरनेट पर लेखा-योग:

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा कर रजिस्टर कर सकते हैं।

अकाउंटेड कैम्प्यूल:

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा कर रजिस्टर कर सकते हैं।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटेड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटेड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्स्प्रेसेशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं।

हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फैक्स : 011-26343852

ई-मेल: query@accountaid.net

© अकाउंटेड इंडिया विक्रम संवत् २०६७ पौष, ईस्वी सन् दिसंबर 2010.

कु. पल्लवी सहगल द्वारा अकाउंटेड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, नई दिल्ली से मुद्रित।

लेख: श्री संजय अग्रवाल; अनुवाद: श्री योगेन्द्र दत्त

डिजाइन: श्रीमती मोक्षुमी डे

केवल निजी प्रसार के लिए।

accountaid@gmail.com